न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 59/2023 बउनवानी महावीर स्वामी बनाम लो.सू.अधि.एवं प्र0अ0भू अभिलेख अनुभाग,स0मा0 पुत्र श्री बजरंग दास स्वामी, निवासी बांसी तहसील नेनवा जिला बूंदी
GCMS No-2023/128

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
7.11.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी एवं प्र0अ0 भू अभिलेख अनुभाग,सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 26.7.2023 को लोक सूचना अधिकारी एवं प्र0अ0 भू अभिलेख अनुभाग,सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— 1. प्रार्थी की खातेदारी भूमि खाता नम्बर 32 ख0न0 1160 रकबा 0.1300 है0 का सीमाज्ञान प्रार्थी की गैर मौजूदगी मे हल्का पटवारी कुम्हारिया द्वारा पेश सीमाज्ञान मौका जॉच रिपोर्ट अतिक्रमी को फायदा पहुॅचाने की नियत से पेश निराधार व असत्य होने के क्रम में एक प्रार्थना पत्र 1.3.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना। 2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं प्र0अ0 भू अभिलेख अनुभाग,सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्र0अ0 भू अभिलेख अनुभाग,सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं प्र0अ0 भू अभिलेख अनुभाग,सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांकः प.14/7/3/सूकाअ/भू0अ0/रि0/2022/5527 दिनांक 2.11.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 26.7.2023 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पत्रांक 941 दिनांक 1.11.2023 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 26.7.2023 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना तहसीलदार चौथ का बरवाडा के पत्रांक 941 दिनांक 1.11.2023 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। इस प्रकार चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध हो चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.12.19 11:52:40 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner